

भारत का उच्चतम न्यायालय

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार

सिविल अपील संख्या \_\_\_\_\_ /2024

विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 13835/2022

मणिलाल

अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य

प्रत्यर्थी

हेडनोट्स

सेवा संबंधी कानून- नियुक्ति हेतु न्यूनतम अंको की बाध्यता - राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा अधिसूचना जारी करना जिसमें शिक्षा स्नातक (बैचलर ऑफ एजुकेशन) पाठ्यक्रम या समकक्ष पाठ्यक्रम में 29.07.2011 से पूर्व प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों पर स्नातक स्तर पर न्यूनतम अंकों की शर्त लागू नहीं करना- **अभिनिर्धारित** किया: भेदभाव करना अनुचित होगा- ऐसा नहीं हो सकता कि पहले चरण की काउंसलिंग में प्रवेश लेने वाले छात्र, भले ही उनके स्नातक में 50% से कम अंक हों, पात्र माने जाएँ, जबकि दूसरे या तत्पश्चात चरणों में प्रवेश लेने वाले छात्र अपात्र करार दिए जाएँ समान स्थिति में स्थित व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए - प्राधिकारियों को निर्देश दिया गया कि खंडपीठ द्वारा पारित अंतरिम आदेश के अनुसार अपीलकर्ता को दी गई नियुक्ति को नियमित नियुक्ति माना जाए और अपीलकर्ता की पुनः नियुक्त कर उसे परिणामीक लाभ प्रदान किए जाएँ।

निर्णय

न्यायमूर्ति श्री के. वी. विश्वनाथन

1. अनुमति प्रदान की गई।
2. यह अपील राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर की खंडपीठ के द्वारा 27.04.2022 को विशेष आवेदन याचिका संख्या 997/2019 में दिये गये निर्णय के विरुद्ध की गई है। उक्त निर्णय में खंडपीठ ने अपीलार्थी की अपील को खारिज कर माननीय एकल पीठ के दिनांक 27.11.2018 के अपीलार्थी की याचिका को खारिज करने के आदेश को यथावत रखा था।

3. अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री निशांत बिश्रोई एवं प्रत्यर्थी - राज्य की ओर से अधिवक्ता श्री मिलिंद कुमार को सुना गया एवं विवाद की विषय वस्तु का अवलोकन किया गया। हमने उभय पक्षों के लिखित कथनों का भी अवलोकन किया।
4. अपील बहुत ही सूक्ष्म तथ्यों पर आधारित है। प्रत्यर्थी - प्राधिकारियों ने राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 एवम् राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के अधीन अनुसूचित क्षेत्र के लिए द्वितीय स्तर में तृतीय श्रेणी अध्यापकों के 1455 पदों पर अनुसूचित क्षेत्र में भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे। उक्त विज्ञप्ति की संबंधित धाराएँ निम्न प्रकार थीं:

#### **"6 न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएँ:**

निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 की धारा 23 की उपधारा (1) के अंतर्गत, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एन सी टी ई ) द्वारा दिनांक 23 अगस्त 2010 एवं 29 जुलाई 2011 को जारी अधिसूचनाओं, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश में दिए गए निर्देशों तथा राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 29.08.2017 के अनुसार, राजस्थान अध्यापक भर्ती 2016 (संशोधित) में विभिन्न श्रेणियों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएं एवं न्यूनतम अंकों का प्रतिशत निम्नानुसार होगा:

6.1 कक्षा 6 से 8 (स्तर-द्वितीय) हेतु:

सामान्य शिक्षा (कक्षा 6 से 8):

क. स्नातक एवं प्राथमिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा (चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो)।

अथवा

न्यूनतम 50% अंकों सहित स्नातक तथा न्यूनतम 50% अंकों सहित एक वर्षीय शिक्षा स्नातक (बी.एड.) डिग्री।

अथवा

न्यूनतम 45% अंकों सहित स्नातक डिग्री तथा एक वर्षीय शिक्षा स्नातक (बी.एड.) डिग्री, जो इस संबंध में समय-समय पर जारी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता मानदंड एवं प्रक्रिया) विनियमों के अनुरूप प्राप्त की गई हो।

अथवा

वरिष्ठ माध्यमिक (या इसके समकक्ष) परीक्षा में न्यूनतम 50% अंक सहित चार वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा स्नातक (बी.एल.एड.) डिग्री।

अथवा

वरिष्ठ माध्यमिक (या इसके समकक्ष) परीक्षा में न्यूनतम 50% अंक सहित चार वर्षीय बी.ए./बी.एससी.एड. या बी.ए.एड./बी.एससी.एड. डिग्री।

अथवा

न्यूनतम 50% अंकों सहित स्नातक डिग्री तथा एक वर्षीय विशेष शिक्षा में शिक्षा स्नातक डिग्री।

Xxxxx

6.3 माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर की खंडपीठ द्वारा दिनांक 20.05.2011 को विभिन्न याचिकाओं में पारित निर्णय के अनुपालन में, विद्यालय शिक्षा विभाग, राजस्थान के पत्र क्रमांक एफ 7(1)/प्लान/2011 दिनांक 17 जून 2011 के अनुसार, निम्नलिखित अभ्यर्थी भी राजस्थान उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती 2016 (संशोधित) में भाग लेने हेतु पात्र होंगे:-

(1) वे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा दिनांक 27.09.2007 को अधिसूचना जारी किए जाने से पूर्व अध्यापक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में प्रवेश लिया है; उनके लिए स्नातक स्तर या समकक्ष परीक्षा में न्यूनतम अंकों की अनिवार्यता बाध्यकारी नहीं होगी।

(2) वे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा दिनांक 27.09.2007 को अधिसूचना जारी किए जाने के बाद, लेकिन दिनांक 31.08.2009 को अधिसूचना जारी होने से पूर्व, प्रवेश लिया है; उनके लिए स्नातक स्तर या समकक्ष परीक्षा में न्यूनतम 45% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(3) वे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा दिनांक 31.08.2009 को अधिसूचना जारी किए जाने के बाद विभिन्न शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में प्रवेश लिया है; उनके लिए स्नातक स्तर या समकक्ष परीक्षा में न्यूनतम 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(जोर दिया गया)

5. अपीलार्थी ने उक्त विज्ञप्ति के तहत शिक्षक के पद के लिए आवेदन किया। यह निर्विवाद है कि अपीलकर्ता के स्नातक में 44.58% अंक थे। यह भी निर्विवाद है कि अपीलकर्ता ने 23.10.2009 को शिक्षा स्नातक (बैचलर ऑफ एजुकेशन) पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया था अर्थात् उक्त तिथि को उसने फीस जमा की थी। यह तथ्य राज्य द्वारा इस न्यायालय में दायर जवाबी हलफनामे में पैरा 7 और लिखित तर्कों में पैरा 1 में भी स्वीकार किया गया है। अपीलकर्ता आरक्षित वर्ग से हैं। स्पष्ट है कि अपीलकर्ता ने 12.04.2019 की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार शिक्षा स्नातक (बैचलर ऑफ एजुकेशन) पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए न्यूनतम अर्हता प्रतिशत 40% (साधारण श्रेणी के लिए 45%) के मानदंड को पूरा किया था और संबंधित पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त किया था।

6. तृतीय श्रेणी में अंतिम चयनित उम्मीदवार से कई अधिक 44.58% अंक प्राप्त करने के बाद भी अपीलकर्ता का नाम चयनित उम्मीदवारों की प्रारंभिक सूची में नहीं आया। अपीलकर्ता का दावा है कि उसे सूचित किया गया था कि उसकी उम्मीदवारी को इसलिए खारिज कर दिया गया था क्योंकि उसने स्नातक में 45% अंक प्राप्त नहीं किए थे।
7. इस पर अपीलार्थी ने एकल पीठ में सिविल याचिका संख्या 16005/2018 दायर की। याचिकाकर्ता से समान परिस्थिति में स्थित राकेश गौड़ ने भी एकल पीठ में सिविल याचिका संख्या 14129/2018 [राकेश गौड़ बनाम राज्य राजस्थान] दायर की थी। दोनों याचिकाएँ 27.11.2018 को खारिज कर दी गईं। इससे अप्रभावित याचिकाकर्ता ने विशेष अपील याचिका संख्या 997/2019 दायर की। राकेश गौड़ ने भी खंडपीठ में विशेष अपील याचिका संख्या 224/2019 दायर की।
8. इस बीच, 13.11.2019 को, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् ने एक स्पष्टीकरण जारी किया, जिसमें स्पष्ट किया गया कि न्यूनतम अंकों की अनिवार्यता उन उम्मीदवारों पर लागू नहीं होगी जिन्होंने 29 जुलाई 2011 से पूर्व शिक्षा स्नातक या प्राथमिक शिक्षा स्नातक या किसी समकक्ष पाठ्यक्रम में प्रवेश ले लिया हो। इसमें यह भी स्पष्ट किया गया कि 13.11.2019 की यह अधिसूचना 29.07.2011 से लागू मानी जाएगी। अधिसूचना का संबंधित अंश निम्नलिखित है:

“(ख) खंड (ख) के अंत में निम्न परंतुक जोड़ा जाएगा यथा:

“लेकिन शर्त यह है कि स्नातक स्तर पर अंकों के न्यूनतम प्रतिशत की शर्त उन पदधारियों के मामले में लागू नहीं होगी जिन्होंने शिक्षा स्नातक अथवा प्राथमिक शिक्षा स्नातक अथवा किसी समतुल्य पाठ्यक्रम में 29 जुलाई 2011 से पहले दाखिला ले लिया था।

2. ऐसा माना जाएगा कि यह अधिसूचना 29 जुलाई 2011 को लागू कर दी गई है।

संजय अवस्थी,

सदस्य सचिव

[विज्ञापन- III/4/असा./304/19]

**टिप्पणी:** दिनांक 23 अगस्त, 2010 की मुख्य अधिसूचना फ़ा.संख्या 61-3/20/2010-राअशिप (ऐन तथा एस) के रूप में भारत सरकार के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, में प्रकाशित हुई थी जिसे बाद में दिनांक 29 जुलाई, 2011 को अधिसूचना संख्या 61-1/2011-राअशिप (ऐन तथा एस) द्वारा संशोधित किया गया था।

## व्याख्यात्मक ज्ञापन

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा जारी की गई दिनांक 29 जुलाई, 2011 की अधिसूचना संख्या फ़ा 61-1/2011- राअशिप (ऐन तथा एस) को नीरज कुमार राय तथा अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य तथा अन्य के मामले में 2017 की सिविल अपील संख्या 9732 के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गयी थी और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 25 जुलाई 2017 के अपने आदेश के माध्यम से राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद को अंकों की प्रतिशतता के संबंध में निर्दिष्ट करते हुए एक पूरक अधिसूचना जारी करने की निर्देश दिए थे। आवश्यक संशोधन उपर्युक्त को नियमावली की अधिसूचना की तारीख से भूतलाक्षी प्रभाव से लागू किया जाना था। यह प्रमाणित किया जाता है कि संशोधित नियमावली को भूतलक्षी प्रभाव से लागू किए जाने से किसी भी प्रत्याशी पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा।

(जोर दिया गया)

9. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की 13.11.2019 की यह अनुपूरक अधिसूचना, 25.07.2017 को इस न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय **नीरज कुमार राय एवम् अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवम् अन्य** (सिविल याचिका संख्या 9732/2017) के मामले में दिये गये निर्णय के परिणामस्वरूप जारी की गई थी।

10. **नीरज कुमार राय (पूर्वोक्त)** निर्णय में इस न्यायालय के द्वारा यह अवलोकन किया गया कि माध्यमिक शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम हेतु मुक्त और दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के माध्यम से शिक्षा स्नातक पाठ्यक्रम के लिए वर्ष 2009 के मानदंडों और मानकों में स्नातक स्तर पर न्यूनतम अंकों के प्रतिशत की कोई व्यवस्था नहीं थी। तत्पश्चात् इस न्यायालय ने यह भी अवलोकन किया कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की दिनांक 23.08.2010 की अधिसूचना से स्नातक में निर्धारित अंकों की अनिवार्यता निर्धारित की गई थी और उसी आधार पर उक्त अनिवार्यता को 29.07.2011 की अधिसूचना से सम्मिलित किया गया था। **नीरज कुमार राय (पूर्वोक्त)** के निर्णय में अपीलकर्ताओं ने राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा सिविल याचिका सं. 3964/2011 [**सुशील सोमपुरा व अन्य बनाम राज्य (शिक्षा) व अन्य**] तथा उत्तराखंड उच्च न्यायालय की माननीय एकल पीठ द्वारा रिट याचिका सं. 772(एसएस)/2011 [**बलदेव सिंह व अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य व अन्य**] में दिए गए निर्णयों पर निर्भर रहते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया कि यदि शिक्षा स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश परिषद द्वारा स्नातक डिग्री में न्यूनतम अंकों की अनिवार्यता के निर्धारण से पूर्व प्राप्त किया गया हो, तो स्नातक में न्यूनतम अंकों की शर्त पर जोर नहीं दिया जाना चाहिए। माननीय अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल द्वारा यह अभिलिखित किए जाने पर कि उक्त अपीलकर्ताओं

के साथ समानता का व्यवहार किया जाना चाहिए, इस न्यायालय ने राजस्थान और उत्तराखंड उच्च न्यायालयों द्वारा प्रदान की गई राहत के अनुरूप ही उन अपीलकर्ताओं को राहत प्रदान की थी।

11. इससे भिन्न, खंडपीठ में **राजस्थान राज्य बनाम अंकुल सिंघल** विशेषआवेदन याचिका संख्या 545/2020 के प्रकरण में, दिनांक 08.09.2020 के आदेश द्वारा, राज्य की अपील को खारिज करते हुए, अंकुल सिंघल से संबंधित तथ्यों के संदर्भ में खंडपीठ ने निम्नानुसार अभिनिर्णित किया था:

उक्त पद पर प्रवेश की प्रक्रिया अप्रैल, 2009 में जारी विज्ञापन के अनुसार प्रारंभ की गई थी। प्रवेश हेतु पात्रता स्नातक स्तर पर न्यूनतम 45% अंक निर्धारित थी। प्रत्यर्थी ने अपनी स्नातक परीक्षा में 49.61% अंक प्राप्त किए थे। प्रत्यर्थी ने प्री-शिक्षा शास्त्री परीक्षा उत्तीर्ण की थी। योग्यता एवं वरीयता के आधार पर महाविद्यालय आवंटन हेतु काउंसलिंग की अधिसूचना दिनांक 04.07.2009 को जारी की गई थी। प्रत्यर्थी ने आवश्यक शुल्क दिनांक 07.07.2009 को जमा कराया। प्रथम चरण की काउंसलिंग दिनांक 31.07.2009 से 03.08.2009 के मध्य आयोजित की गई। द्वितीय चरण की काउंसलिंग दिनांक 26.08.2009 से 28.08.2009 के मध्य संपन्न हुई। दिनांक 21.08.2009 की अधिसूचना के अनुसार, प्रतिवादी को शैक्षणिक सत्र 2009-10 हेतु शिक्षा शास्त्री पाठ्यक्रम में अध्ययन के लिए महाविद्यालय आवंटित किया गया था और दिनांक 04.09.2009 को उसका अधिकृत रूप से प्रवेश हुआ।

दिनांक 31.07.2018 के विज्ञापन की धाराएँ 9.3(ii) एवं 9.3(iii) निम्न प्रकार से हैं:

9.3 माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर खंडपीठ द्वारा दिनांक 20.05.2011 को विभिन्न याचिकाओं में पारित निर्णय तथा स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान के पत्र क्रमांक F 7(1) ई.ई./प्लान/2011 दिनांक 17 जून, 2011 एवं स्पष्टीकरण दिनांक 16.09.2013 के अनुसार, निम्नलिखित अभ्यर्थी राजस्थान प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती, 2018 में भाग लेने के लिए पात्र होंगे:

(i) वे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की अधिसूचना दिनांक 27.09.2007 के प्रकाशन से पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में प्रवेश लिया है, उनके लिए स्नातक स्तर अथवा समकक्ष परीक्षा में न्यूनतम अंकों की अनिवार्यता बाध्यकारी नहीं होगी।

(ii) वे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की अधिसूचना दिनांक 27.09.2007 के प्रकाशन के पश्चात् किन्तु दिनांक 31.08.2009 की अधिसूचना के पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में प्रवेश लिया है, उनके लिए स्नातक स्तर अथवा समकक्ष परीक्षा में न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(iii) वे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की अधिसूचना दिनांक 31.08.2009 के प्रकाशन के पश्चात् शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में प्रवेश लिया है, उनके लिए स्नातक स्तर अथवा समकक्ष परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

माननीय एकल न्यायाधीश ने युक्तिपूर्वक यह अवलोकन किया कि प्रतिवादी का पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रथम चरण की काउंसलिंग की तिथि से प्रभावी माना जाना चाहिए, जो कि 31.08.2009 से पूर्व सम्पन्न हुई थी। यदि ऐसा नहीं माना गया, तो शैक्षणिक सत्र 2009-10 में शिक्षा शास्त्री पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त समरूप छात्र समूह के मध्य एक अव्यवहारिक वर्गीकरण उत्पन्न होगा, जिसका किसी युक्तिसंगत उद्देश्य से कोई संबंध नहीं होगा। परिणामस्वरूप, प्रतिवादी की कक्षा में ही प्रथम चरण की काउंसलिंग के उपरांत प्रवेशित कुछ छात्र, जिन्हें स्नातक में 50% से कम अंक प्राप्त हुए हैं, वे तृतीय श्रेणी शिक्षक, स्तर-द्वितीय के पद पर नियुक्ति के पात्र होंगे, जबकि प्रतिवादी, जो उसी कक्षा से है और उसी प्रक्रिया के माध्यम से प्रवेशित हुआ है, केवल स्नातक में 50% से कम अंक होने के कारण नियुक्ति हेतु अपात्र ठहराया जाएगा।

माननीय एकल न्यायाधीश ने युक्तिसंगत रूप से यह निर्णय दिया कि समान व्यक्तियों (शिक्षा शास्त्री कक्षा 2009-10 के विद्यार्थियों) के मध्य उत्पन्न उक्त असमान एवं भेदभावपूर्ण स्थिति उचित नहीं है तथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत प्रतिकूल घोषित किए जाने योग्य है।

माननीय एकल न्यायाधीश ने तत्पश्चात युक्तिसंगत रूप से यह निष्कर्ष निकाला कि दिनांक 31.07.2018 के विज्ञापन की धारा 9.3(iii) को धारा 9.3(ii) के साथ पढ़े जाने पर, वे अभ्यर्थी जो स्नातक में 45% अंक प्राप्त कर चुके हैं और जिन्होंने शिक्षा शास्त्री पाठ्यक्रम में प्रवेश की प्रक्रिया को पर्याप्त रूप से पूर्ण कर लिया था तथा जिन्हें 31.08.2009 से पूर्व उक्त पाठ्यक्रम हेतु महाविद्यालय आवंटित कर दिया गया था, यद्यपि उनका वास्तविक प्रवेश तत्पश्चात हुआ, ऐसे अभ्यर्थी पात्र माने जाएंगे। प्रतिवादी का प्रकरण उपर्युक्त श्रेणी में आता है, क्योंकि उसने अप्रैल 2009 में प्रकाशित विज्ञापन के अनुसार शिक्षा शास्त्री पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया था, जब दिनांक 27.09.2007 की अधिसूचना प्रभावी थी और उक्त अधिसूचना के अनुसार पात्रता का मापदंड स्नातक में न्यूनतम 45% अंक था।

अतः माननीय एकल न्यायाधीश ने युक्तिसंगत रूप से यह निर्णय दिया कि प्रतिवादी का प्रकरण तृतीय श्रेणी शिक्षक, स्तर-द्वितीय के पद पर नियुक्ति हेतु उसकी प्रतिस्पर्धात्मक योग्यता के आधार पर विचारित किया जाएगा, बशर्ते वह अन्य आवश्यक पात्रता मानदंडों को पूरा करता हो, जो विज्ञापन दिनांक 31.07.2018 के अंतर्गत उसके आवेदन में निर्धारित हैं।“

(जोर दिया गया)

**अंकुल सिंघल (पूर्वोक्त)** में दिये गये निर्णय के विरुद्ध राज्य के द्वारा की गई विशेष अनुमति याचिका संख्या (सिविल) 15793/2020 भी इस न्यायालय द्वारा 01.02.2021 को खारिज कर दी गई थी।

12. अपीलकर्ता की खंडपीठ के समक्ष विशेष अपील याचिका संख्या 997/2019 में, खंडपीठ ने 23.10.2021 को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषदकी 13.11.2019 की अधिसूचना पर आधारित एक अंतरिम आदेश पारित किया, जिसमें यह निर्देश दिया गया कि यदि अपीलकर्ता अन्यथा योग्य है, तो उसे अनुसूचितक्षेत्र (अंग्रेजी विषय) के लिए तृतीय श्रेणी शिक्षकके पद पर नियुक्ति दी जाए। यह निर्विवादित है कि अपीलकर्ता को अंतरिम आदेश

के आधार पर नियुक्ति दी गई थी एवं 07.06.2022 को उसकी नियुक्ति को रद्द कर दिया गया।

13. 10.03.2022 को खंडपीठ के द्वारा **अंकुल सिंघल(पूर्वोक्त)** में दिये गये निर्णय के आधार पर अपीलकर्ता से समान परिस्थिति में स्थित **राकेश गौड़(पूर्वोक्त)** की याचिका का निस्तारण अनुकूल निर्णय देकर किया गया, जबकि उक्त राकेश गौड़ ने अपीलार्थी के पश्चात दिनांक 05.11.2009 को संबंधित पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया था।

14. हालांकि, 27.04.2022 को अपीलकर्ता की अपील खंडपीठ के समक्ष सुनवाई पर आयी तो खंडपीठ ने विशेष अपील याचिका संख्या 1205/2019 (**दिनेश चंद्र डामोर बनाम राजस्थान राज्य**) में दिये गये निर्णय के आधार पर उक्त अपील को खारिज कर दिया। अपीलकर्ता ने 23.10.2009 को पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया था जबकि **दिनेश चंद्र डामोर(पूर्वोक्त)** मामले में उम्मीदवार ने अधिसूचना में दी गई अंतिम तिथि 31.08.2009 के लगभग एक वर्ष और दो महीने बाद, 20.10.2010 को प्रवेश लिया था।

15. अपीलार्थी का मामला **राकेश गौड़ (पूर्वोक्त)** के मामले से अभिन्न है। राकेश गौड़ ने पाठ्यक्रम में प्रवेश 05.11.2009 को लिया था। विशिष्ट तथ्यों के आधार पर हमें स्पष्टतया यह प्रतीत होता है कि खंडपीठ ने इस मामले में **अंकुल सिंघल (पूर्वोक्त)** और **राकेश गौड़(पूर्वोक्त)** के निर्णयों को इस मामले के तथ्यों पर लगाने के बजाय **दिनेश चंद्र डामोर(पूर्वोक्त)** में दिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस मामले का निपटारा किया।**अंकुल सिंघल (पूर्वोक्त)** मामले में दिये गये निर्णय के अनुसार अकादमिक वर्ष 2009-10 में प्रवेश लेने वाले समान समूह के छात्रों में भेदभाव असंगत और असंवैधानिक स्थिति होगी। जैसा कि उक्त निर्णय देते समय निर्देशित किया गया था की ऐसा नहीं हो सकता कि काउन्सलिंग के पहले चरण में प्रवेश पाने वाले छात्र 50 % से कम अंकों के साथ भी शिक्षक के पद के लिए पात्र माने जाये,जबकि काउंसलिंग के बाद के चरणों में प्रवेश पाने वाले अन्य छात्र पात्र न माने जाएं। इसी विवेचन को ध्यान में रखते हुए उक्त निर्णय में राकेश गौड़ को राहत प्रदान की गयी थी। कहा भी जाता है की सभी को एक ही तराजू से तोलना चाहिये। **राकेश गौड़ (पूर्वोक्त)** का प्रकरण अपीलकर्ता के प्रकरण के समान

परिस्थितियों में था। जो एक पक्ष के लिए लागू है, वही दूसरे पक्ष पर भी समान रूप से लागू होना चाहिए।

16. इन्हीं करणों से हम यह अपील स्वीकार करते हैं और उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा 27.04.2022 को विशेष आवेदन याचिका संख्या 997/2019 में दिये गये निर्णय को रद्द करते हैं। हम प्रत्यर्थी प्राधिकारियों को निर्देशित करते हैं कि अपीलकर्ता को खंडपीठ के अंतरिम आदेश के अनुसार दिनांक 23.10.2021 को दी गई नियुक्ति को नियमित नियुक्ति माना जाये एवं उक्त पद पर बहाल कर पारिणामिक लाभ प्रदान किए जाए। यह भी निर्देशित किया जाता है कि अपीलकर्ता को केवल उस अवधि के लिए वेतन मिलेगा, जितने समय तक उसने वास्तव में कार्य किया है एवं वेतन का अपेक्षित लाभ (फिटमेंट) दिया जाएगा। इस संदर्भ में अपेक्षित है की चार सप्ताह के भीतर आवश्यक आदेश जारी किए जाएं। व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाता है।

.....  
न्यायमूर्ति श्री बी. आर. गवई

.....  
न्यायमूर्ति श्री के. वी. विश्वनाथन

नई दिल्ली;

10 सितम्बर, 2024

Translated by Shivani Sharma R/349/2017

Checked by

Hemant Soni